न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
राजस्व लोक अदालत शिविर, ढोसर
पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 170 / 2016 रे0 वाद

अनवान

1. रतनलाल पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता भंवरलाल गोदपुत्र मु0 गोरी बेवा मोहनलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा हाल नि0 ए–34 ज्योतिनगर कंजरीरोड़ हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक 16.05.2017

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की और से विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वाद पत्र वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा बन्शीलाल महाजन मृतक भंवरलाल एवं रामसुखी बाई के जायन्दा पुत्र है जिनमें से बंशीलाल एवं प्रतिवादी संख्या एक काफी वर्षों पूर्व जाति रस्म रिवाज अनुसार गोद चले गेय अर्थात प्रतिवादी संख्या एक विधिवत मु0 गौरी बाई पत्नी मोहनलाल महाजन (लढा) के यहां गोद चला गया। इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड गोदनामा भी दिनांक 13.01.1990 को निष्पादित किया गया इसी तरह बंशीलाल भी नानूराम महाजन के यहां काफी वर्षों पूर्व गोद चले गये इस प्रकार भंवर लाल के पुत्रों श्यामलाल व बंशीलाल का अन्य व्यवक्तियों के यहां गोद चले जाने से कोई हक व अधिकार अपने जायन्दा माता–पिता भंवरलाल व रामसुखी बाई की चल–अचल सम्पदाओं में कानूनन नहीं रहता है न रहा है बल्कि भंवरलाल की चल अचल सम्पदाओं पर वादीगण ही काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

ग्राम ढोसर तहसील सहाड़ा स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.5200 है0, आराजी संख्या 780 रकबा 0.4800 है0, आराजी संख्या 783 रकबा 0.2800 है0 एवं आराजी संख्या 1009 रकबा 0.3900 है0 कुल किता 4 रकबा 1.6700 अवस्थित चली आ रही है जो भंवरलाल को अपने भाईयों के साथ हुए विभाजन स्वरूप प्राप्त हुई हैं अर्थात् उक्त आराजियात जो आराजी नं0 12 / 3, 30, 323, 370, 371, 389, 490 कुल किता 7 रकबा 19 बीघा में से बनी हैं जिसमें भंवरलाल का 1 / 3 हक हिस्सा निहित था। शेंष 1 / 3 हक हिस्सा रामस्वरूप तथा शेंष 1 / 3 हिस्सा कन्हैयालाल पिता बालुराम का निहित था। भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 30.06.1992 को होने के उपरान्त उक्त आराजियात का नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 08.05.1993 को प्रतिवादी संख्या 1 व बंशीलाल के गोद चले जाने की अभिस्वीकृती करते हुए ही वादीगण

...कलक्टर
...अधिकारी)
...भीलवाड़ा (राज.)

क्रमशः.............

रतनलाल, प्रहलाद एवं रामसुखी बाई के के नाम पर विधिवत खोलकर फैसल किया गया तथा भंवरलाल के शेंष दोनों पुत्र अर्थात प्रतिवादी संख्या एक एवं बंशीलाल के विधिवत गोद चले जाने से भंवरलाल की मृत्यु उपरान्त उनके नाम पर कोई इन्तकाल फैसल नहीं किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजियात भंवरलाल की मृत्यु उपरान्त वादीगण एवं सुखी बाई के नाम पर अभिलिखित की गई जिस पर वादीगण एवं रामसुखी बाई 1/3, 1/3 हक व हिस्से से निरन्तर काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। कालान्तर में वादीगण की माता रामसुखी बाई का सन् 2013 में निधन हो गया। इनके निधन उपरान्त नामान्तरण संख्या 408 दिनांक 11.02.1993 फैसल किया गया हैं जो तन्हा वादीगण के नाम पर ही कानूनन रामसुखी बाई के वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से खोलकर फैसल किया जाना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी संख्या एक एवं बंशीलाल ने नामान्तरण वादीगण के साथ–साथ अपने नाम पर ही अवैध तरीके से फैसल करवा लिया जो सर्वथा विधि विरूद्ध फैसल किया गया जबकि विभाजित आराजियात पर कोई कब्जा व दखल प्रतिवादी संख्या एक एवं बंशीलाल का गोद चले जाने से नहीं है।

रामसुखी बाई की मृत्यु उपरान्त खोले गये नामान्तरण संख्या 408 फैसल दिनांक 11.02.2013 की जानकारी वादीगण को होने पर उन्होने प्रतिवादी संख्या 1 एवं बंशीलाल को कहा कि उक्त नामान्तरण क्यों कर वादी उनके साथ अपने नाम पर फैसल करवाया तो बंशीलाल ने उक्त अवैध एवं गलत नामान्तरण के आधार पर जो 1/12 हक व हिस्सा उसके नाम पर विवादित आराजियात का अभिलिखित कर दिया गया, वह बिना वादीगण के हक में रजिस्टर्ड हक परित्याग से दिनांक 09.07.2014 को हस्तान्तरित कर दिया किन्तु प्रतिवादी संख्या एक ने अपना जो 1/12 हक व हिस्सा है को वादीगण के नाम पर हस्तान्तरित कराने से इन्कार कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या एक का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं और वह विभाजित आराजियात में अपना 1/12 हिस्सा दर्ज होने से इसका नाजायज फायदा उठाकर इसको रहन व बक्षीस कर हस्तान्तरित करने एवं विवाद करने पर आमादा है। इसलिए वाद पत्र वादीगण बजरिये डिक्री घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरुस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि विवादित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में जो 1/12 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर गलत रूप से दर्ज हैं उसे विलोपित करा वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात में अपना 1/12 हक व हिस्सा दर्ज हैं, उसे वहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करे एवं वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बेंहजा दखंदाजी व हस्तक्षेप प्रतिवादी संख्या 1 उत्पन्न नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

शिविर के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल द्वारा आपसी राजीनाम प्रस्तुत किया गया है जो बाद तस्दीक संग्रह पत्रावली किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा औपचारिक पक्षकार होना अंकित करते हुए जवाबदावा पेश नहीं किया गया हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैनें शिविर में उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया और प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ढोसर साबिक आराजियात सम्वत् 2044 से 2047 खाता संख्या 118 प्रस्तुत की गई हैं जिसके अवलोकन से जाहिर है कि उपर

वर्णित साबिक आराजियात किता 7 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि बालुराम पिता चम्पालाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड होकर इनके फोत के बजाय नामान्तरण संख्या 453 दिनांक 12.12.87 विरासत से बालुराम फोत के बजाय भंवरलाल, रामस्वरूप, कन्हैयालाल पिता बालुराम हि0ब0 से दर्ज करने की स्वीकृति हुई हैं तथा इसमें नोट अंकित किया हुआ है कि भू0प्र0वि0 के नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 08.05.93 से भंवरलाल फोत के बजाय रतनलाल, प्रहलाद पिता भंवरलाल, मु0 रामसुखी बेवा भंवरलाल का नाम दर्ज करने की स्वीकृति। इससे स्पष्ट है कि भंवरलाल के वादीगण के अलावा अन्य वारिस प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल एवं बंशीलाल गोद चले जाने से उनका नाम अभिलिखित नहीं हुआ है। जमाबन्दी ग्राम ढोसर सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 245 के अवलोकन से विदित है कि इसमें रतनलाल, प्रहलाद पिता भंवरलाल 2/3 रतनलाल, प्रहलाद, बंशीलाल, श्यामलाल पिता भंवरलाल 1/3 महाजन सां.देह दर्ज हैं और नामान्तरण संख्या 475 दिनांक 12.09.2014 हक त्याग से पूरे खाते में रतनलाल, प्रहलाद, बंशीलाल, श्यामलाल पिता भंवरलाल 1/3 के बजाय रतनलाल, प्रहलाद पिता भंवरलाल 1/4 श्यामलाल पिता भंवरलाल 1/12 महाजन सां.देह दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित हैं।

उपरोक्त विवेचन से वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि निर्विवाद रूप से होती है और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 श्यामलाल द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 श्यामलाल वादवर्णित उक्त नवीन आराजियात में अपने 1/12 हिस्से को विलोपित कराये जाने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति राजीनामा हो जाने से अब आगे विस्तृत विवेचन एवं प्रतिवादी संख्या–एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती हैं। अतः बरूए राजीनामा वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश::–

अतः वादपत्र वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं ग्राम ढोसर स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.5200 है0, 780 रकबा 0.4800 है0, 783 रकबा 0.2800 है0 एवं 1009 रकबा 0.3900 है0 कुल किता 4 रकबा 1.6700 है0 में प्रतिवादी संख्या–एक श्यामलाल पिता भंवरलाल महाजन (लढ़ा) के नाम जो हिस्सा 1/12 अभिलिखित है, उसे अपास्त/विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत शिविर, ढोसर

पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 170/2016 रे0 वाद

अनवान

1. रतनलाल पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा

--वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता भंवरलाल गोदपुत्र मु0 गोरी बेवा मोहनलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा हाल नि0 ए–34 ज्योतिनगर कंजरीरोड़ हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

--प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादीगण की ओर से वादीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16.05.2017 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि -----×------ और इस वाद के खर्च लेखे -----×------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----×------ द्वारा -----×------ को दी जाए।

अतः वादपत्र वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं ग्राम ढोसर स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.5200 है0, 780 रकबा 0.4800 है0, 783 रकबा 0.2800 है0 एवं 1009 रकबा 0.3900 है0 कुल किता 4 रकबा 1.6700 है0 में प्रतिवादी संख्या–एक श्यामलाल पिता भंवरलाल महाजन (लढ़ा) के नाम जो हिस्सा 1/12 अभिलिखित है, उसे अपास्त/विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.05.2017 को जारी किया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत शिविर, ढोसर

पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्ड़ारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 170 / 2016 रे0 वाद

अनवान

1. रतनलाल पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता भंवरलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा

––वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता भंवरलाल गोदपुत्र मु0 गोरी बेवा मोहनलाल महाजन निवासी ढोसर, तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा हाल नि0 ए–34 ज्योतिनगर कंजरीरोड़ हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादीगण की ओर से वादीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16.05.2017 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

अतः वादपत्र वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं ग्राम ढोसर स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.5200 है0, 780 रकबा 0.4800 है0, 783 रकबा 0.2800 है0 एवं 1009 रकबा 0.3900 है0 कुल किता 4 रकबा 1.6700 है0 में प्रतिवादी संख्या–एक श्यामलाल पिता भंवरलाल महाजन (लढ़ा) के नाम जो हिस्सा 1 / 12 अभिलिखित है, उसे अपास्त / विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.05.2017 को जारी किया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सत्यप्रतिलिपि

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)